रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 790] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 20, 2017/भाद्र 29, 1939
No. 790] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 20, 2017/BHADRA 29, 1939

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2017

सा.का.नि. 1172(अ).—केन्द्रीय सरकार कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के साथ पठित धारा 73 और धारा 76 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (जमा की स्वीकृति) दूसरा संशोधन नियम, 2017 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 3 के उपनियम (3) के परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु यह कि, कोई विनिर्दिष्ट आईएफएससी पब्लिक कंपनी और कोई प्राइवेट कंपनी अपने सदस्यों से कुल समादत्त शेयरपूंजी, मुक्त आरक्षिती और प्रतिभूति प्रीमियम खाते के योग के एक सौ प्रतिशत से अधिक धनराशि स्वीकार नहीं करेगी और ऐसी कंपनी इस प्रकार से स्वीकृति जमा राशि के ब्यौरे प्ररूप डीपीटी-3 में रजिस्ट्रार को फाइल करेगी।

स्पष्टीकरण.– इस नियम के प्रयोजनों के लिए एक निर्दिष्ट आईएफएससी पब्लिक कंपनी से ऐसी असूचीबद्ध पब्लिक कंपनी अभिप्रेत है जिसे विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के साथ पठित विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 (2005 का 28) के अधीन स्थापित किसी अनुमोदित बहुसेवा विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र से भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड या भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा परिचालन की अनुज्ञप्ति प्राप्त है:

परंतु यह और कि सदस्यों से जमा स्वीकार करने के संबंध में निर्धारित अधिकतम सीमा निम्नलिखित वर्ग की प्राइवेट कंपनियों के लिए लागू नहीं होगी, अर्थात् :-

(i) प्राइवेट कंपनी जो स्टार्टअप है, के निगमन की तारीख से पांच वर्ष के लिए;

(ii) प्राइवेट कंपनी जो निम्नलिखित सभी शर्तें पूरी करती है, अर्थात् :-

(क) जो किसी अन्य कंपनी की सहयोगी या समनुषंगी कंपनी नहीं है;

(ख) ऐसी कंपनी के बैंकों या वित्तीय संस्थानों या किसी अन्य कारपोरेट निकाय से उधार की मात्रा इसकी समादत्त शेयरपूंजी के दुगुने या पचास करोड़ रुपए, इनमें से जो कम हो, से कम है; तथा

(ग) ऐसी कंपनी ने धारा 73 के अधीन जमा स्वीकृत करते समय़ उक्त ऋणों के पुनर्संदाय में व्यतिक्रम नहीं किया है:

परंतु यह भी कि जमा स्वीकार करने वाली सभी कंपनियां इस प्रकार से स्वीकृत धनराशि के ब्यौरे रजिस्ट्रार को प्रारूप डीपीटी-3 में फाइल करेंगी।"।

3. मूल नियमों के उपाबंध में प्रारूप डीपीटी-3 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

प्ररूप डीपीटी-3 **जमा की विवरणी** [कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 के नियम 3 और 16 के अनुसरण में]	सत्यमेव जयते	

प्ररूप की भाषा **O अंग्रेजी** **O हिंदी**

प्ररूप भरने के लिए निर्देश देखें

1. (क) *कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएऩ) ____________________________

(ख) वैश्विक स्थिति संख्या (जीएलएन) ____________________________ (पूर्व पूरित)

2. (क) कंपनी का नाम ____

(ख) रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पता ____

____

(ग) *ई-मेल आईडी ____________________________

3. कंपनी का प्रकार O पब्लिक कंपनी O प्राइवेट कंपनी

4. *क्या कंपनी सरकारी कंपनी है O हां O नहीं

5. कंपनी के उद्देश्य ____

____

6. (क) विज्ञापन या परिपत्र जारी करने की तारीख __________

(ख) *लेखा बंद करने की अंतिम तारीख ___________

(ग) विज्ञापन या परिपत्र की विधिमान्यता समाप्त होने की तारीख ___________

7. *विवरणी की तारीख से पहले लेखापरिक्षित अंतिम तुलन पत्र के अनुसार निवल मूल्य-

(क) (i)	समादत्त शेयरपूंजी	
(ii)	मुक्त आरक्षितियां	
(iii)	प्रतिभूति प्रीमियम लेखा	
(ख) (i)	संचित हानि	
(ii)	स्थगित राजस्व व्यय का शेष	

(iii)	कुल उपलब्ध न कराया गया अवमूल्यन	
(iv)	विविध व्यय और प्रारंभिक खर्च	
(v)	अन्य अमूर्त आस्तियां	
(ग)	निवल मूल्य (क) – (ख)	
(घ)	जमा की अधिकतम सीमा (अर्थात् निर्दिष्ट आईएफएससी पब्लिक कंपनियों और प्राइवेट कंपनियों को छोड़कर अन्य सभी कंपनियों के मामले में उपर्युक्त का 35%)	

8. *जमा की विशिष्टियां (रुपए में)

(क) 01 अप्रैल को वर्तमान जमा की राशि ____________________________

(ख) वर्ष के दौरान नवीकृति जमा की राशि ____________________________

(ग) वर्ष के दौरान स्वीकृत नई जमा की राशि ____________________________

(i) प्रतिभूत जमा ____________________________

(ii) अप्रतिभूत जमा ____________________________

(घ) वर्ष के दौरान लौटाई गई जमा की राशि ____________________________

(ड.) वर्ष के अंत में बकाया जमा का शेष ____________________________

9. (क) *जमा की राशि जो परिपक्व हो गई है परंतु दावा नहीं की गई है ________________

(ख) *जमा की राशि जो परिपक्व और दावा की गई है परंतु भुगतान नहीं की गई _________

10. *नकद आस्तियों की विशिष्टियां

(क) अगले वर्ष 31 मार्च से पहले _____________ और आने वाले आगामी वर्ष _____________ के दौरान परिपक्व होने वाले जमा की राशि

(ख) नकद आस्तियों में निवेश के लिए अपेक्षित राशि ____________________________

(ग) नकद आस्तियों का विवरण

विशिष्टियां		राशि
(क) किसी अधिसूचित बैंक में प्रभार या धारणाधिकार से मुक्त चालू या अन्य जमा खाते में राशि		__________
(ख) केन्द्रीय/राज्य सरकार की अबाधित प्रतिभूतियां	प्रत्यक्ष मूल्य	__________
	बाजार मूल्य	__________
(ग) अबाधित न्यास प्रतिभूतियां	प्रत्यक्ष मूल्य	__________
	बाजार मूल्य	__________

11. जमा बीमा की विशिष्टियां

(क) बीमाकर्ता का नाम ____________________________

(ख) जमा बीमा संविदा पर हस्ताक्षर करने की तारीख ____________________________

(ग) देय प्रीमियम ____________________________

(घ) कब तक प्रीमियम दिया गया है ____________________________

(ङ) प्रत्येक जमाकर्ता के लिए अधिकतम सीमा ____________________________

12. प्रभार की विशिष्टियां

(क) न्यास विलेख पर हस्ताक्षर करने की तारीख ____________________

(ख) न्यासी का नाम ____________________

(ग) संपत्ति जिस पर जमाकर्ताओं की सुरक्षा के लिए प्रभार का सृजन किया जाना है, कि संक्षिप्त विशिष्टियां

____

(घ) संपत्ति का मूल्य ____________________

संलग्नक

संलग्नकों की सूची

1. लेखापरीक्षा का प्रमाण पत्र	संलग्न करें	
2. जमा बीमा संविदा	संलग्न करें	
3. न्यास विलेख की प्रतिलिपि	संलग्न करें	
4. प्रभार सृजित करने की लिखत की प्रतिलिपि	संलग्न करें	
5. जमाकर्ताओं की सूची	संलग्न करें	
6. नकद आस्तियों का विवरण	संलग्न करें	
7. वैकल्पिक संलग्नक, यदि कोई हो	संलग्न करें	

संलग्नक हटाएं

घोषणा पत्र

मुझे कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा तारीख *____________ के संकल्प संख्या *___________ के माध्यम से इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने के लिए और यह घोषणा करने के लिए प्राधिकृत किया गया है कि इस प्ररूप की विषय वस्तु और इससे प्रासंगिक मामलों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि इस प्ररूप के संलग्नकों सहित उपर्युक्त समस्त सूचना सही, सत्य और पूरी है तथा कोई महत्वपूर्ण जानकारी छुपाई नहीं गई है।

*डिजिटल हस्ताक्षर **डीएससी बॉक्स**

*पदनाम ____________________

*निदेशक का डिन; या प्रबंधक या ____________________

सीईओ या सीएफओ का डिन या पैन; या कंपनी सचिव की सदस्यता संख्या

टिप्पण: धारा 448 और 449 के उपबंधों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिनमें मिथ्या कथन और मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड का प्रावधान है।

संशोधित करें **प्ररूप जांच** **पूर्व संवीक्षा** **प्रस्तुत करें**

केवल कार्यालय प्रयोग के लिए

प्ररूप सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन) ____________________

ई-प्ररूप फाइल करने की तारीख ______________ (दिन/माह/वर्ष)

यह ई-प्ररूप पंजीकृत किया जाता है

प्राधिकृत करने वाले अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर ___________ **प्रस्तुति की पुष्टि करें**

हस्ताक्षर की तारीख ____________ (दिन/माह/वर्ष)

[फा. सं.1/8/2013-सीएल-V]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में तारीख 31 मार्च, 2014 की सा.का.नि. 256(अ) द्वारा प्रकाशित किए गए थे इनमें बाद में निम्नलिखित प्रकार से संशोधन किए गए:

(1) तारीख 06 जून, 2014 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 386(अ);

(2) तारीख 31 मार्च, 2015 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 241(अ);

(3) तारीख 15 सितंबर, 2015 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 695(अ);

(4) तारीख 29 जून, 2016 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 639(अ); और

(5) तारीख 11 मई, 2017 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 454(अ)।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th September, 2017

G.S.R. 1172(E).—In exercise of the powers conferred by sections 73 and 76 read with sub-section (1) and sub-section (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014, namely:—

1. (1) These rules may be called the Companies (Acceptance of Deposits) Second Amendment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 3, in sub-rule (3), for the proviso, the following shall be substituted, namely:-

"Provided that a Specified IFSC Public company and a private company may accept from its members monies not exceeding one hundred per cent. of aggregate of the paid up share capital, free reserves and securities premium account and such company shall file the details of monies so accepted to the Registrar in Form DPT-3.

***Explanation*.—**For the purpose of this rule, a Specified IFSC Public company means an unlisted public company which is licensed to operate by the Reserve Bank of India or the Securities and Exchange Board of India or the Insurance Regulatory and Development Authority of India from the International Financial Services Centre located in an approved multi services Special Economic Zone set-up under the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005) read with the Special Economic Zones Rules, 2006:

Provided further that the maximum limit in respect of deposits to be accepted from members shall not apply to following classes of private companies, namely:—

(i) a private company which is a start-up, for five years from the date of its incorporation;

(ii) a private company which fulfils all of the following conditions, namely:—

(a) which is not an associate or a subsidiary company of any other company;

(b) the borrowings of such a company from banks or financial institutions or any body corporate is less than twice of its paid up share capital or fifty crore rupees, whichever is less ; and

(c) such a company has not defaulted in the repayment of such borrowings subsisting at the time of accepting deposits under section 73:

Provided also that all the companies accepting deposits shall file the details of monies so accepted to the Registrar in Form DPT-3.".

3. In the principal rules, in the Annexure, for Form DPT−3, the following shall be substituted, namely:—

FORM DPT-3

Return of deposits

[Pursuant to rules 3 and 16 of the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014]

सत्यमेव जयते

Form language o English o Hindi

Refer the instruction kit for filing the form.

1. (a) *Corporate Identity Number (CIN) [ ] Pre fill

(b) Global Location Number (GLN) [ ]

2. (a) Name of the company [ ]

(b) Registered office address

[ ]

(c) *email id [ ]

3. Whether the company is o Public company o Private company

4. *Whether the company is a government company o Yes o No

5. Objects of the company

[ ]

6. (a) Date of issue of advertisement or circular [ ]

(b) *Date of last closing of accounts [ ]

(c) Date of expiry of validity of advertisement or circular [ ]

7. *Net Worth as per the latest audited balance sheet preceding the date of the return—

S. No.	Particulars	Amount (in Rupees)
(a)(i)	Paid up share capital	
(ii)	Free reserves	
(iii)	Securities Premium Account	
(b)(i)	Accumulated loss	

(ii)	Balance of deferred revenue expenditure	
(iii)	Accumulated unprovided depreciation	
(iv)	Miscellaneous expense and preliminary expenses	
(v)	Other intangible assets	
(c)	Net worth (a) – (b)	
(d)	Maximum limit of deposits (i.e. 35% of the above in case of all companies other than specified IFSC public companies and private companies)	

8. *Particulars of deposits (In Rupees)

(a) Amount of existing deposits as on 1st April

(b) Amount of deposits renewed during the year

(c) Amount of new deposits accepted during the year

(i) Secured deposits

(ii) Unsecured deposits

(d) Amount of deposits repaid during the year

(e) Balance of deposits outstanding at the end of the year

9. (a) *Amount of deposits that have matured but not claimed

(b) *Amount of deposits that have matured and claimed but not paid

10. *Particulars of liquid assets

(a) Amount of deposits maturing before 31st March next year

and following next year

(b) Amount required to be invested in liquid assets

(c) Details of liquid assets

Particulars		Amount
(a) Amount in current or other deposits account, free from charge or lien, with any scheduled bank		
(b) Unencumbered securities of Central/State Government	Face value	
	Market Value	
(c) Unencumbered trust securities	Face value	
	Market value	

11. Particulars of deposit insurance

(a) Name of the insurer

(b) Date of entering into deposit insurance contract

(c) Premium payable

(d) Premium paid up to

(e) Maximum ceiling limit for every depositor

12. Particulars of charge

(a) Date of entering into trust deed

(b) Name of the trustee

(c) Short particulars of the property on which charge is created for securing depositors

(d) Value of the property

Attachments **List of attachments**

1. Auditor's certificate; Attach
2. Deposit Insurance contract; Attach
3. Copy of trust deed; Attach
4. Copy of instrument creating charge; Attach
5. List of depositors; Attach
6. Details of liquid assets; Attach
7. Optional attachment, if any. Attach

Remove attachment

Declaration

I am authorized by the Board of Directors of the Company vide resolution number* dated * to sign this form and declare that all the requirements of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder in respect of the subject matter of this form and matters incidental thereto have been complied with. I also declare that all the information given herein above is true, correct and complete including the attachments to this form and nothing material has been suppressed.

*To be digitally signed by **DSC Box**

*Designation

*DIN of the director; or DIN or PAN of the manager or CEO or CFO; or membership number of the company secretary

Note: Attention is also drawn to provisions of Section 448 and 449 which provide for punishment for false statement and false evidence.

Modify | Check Form | Prescrutiny | Submit

For office use only: | Affix filing details

eForm Service request number (SRN) | eForm filing date | (DD/MM/YYYY)

This e-Form is hereby registered

Digital signature of the authorising officer | Confirm submission

Date of signing | (DD/MM/YYYY)

[F. No. 1/8/2013-CL-V]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 256(E), dated the 31st March, 2014 and were subsequently amended :—

(1) Vide notification number G.S.R. 386(E) dated the 6th June, 2014;

(2) Vide notification number G.S.R. 241(E) dated the 31st March, 2015;

(3) Vide notification number G.S.R. 695(E) dated the 15th September, 2015;

(4) Vide notification number G.S.R. 639(E) dated the 29th June, 2016; and

(5) Vide notification number G.S.R. 454(E) dated the 11th May, 2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.09.21 16:01:51 +05'30'